फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

[illegible]स संख्या :— /20

सीताराम बनाम अकिंता

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26.06.2024	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता रमेश चौधरी हाजिर। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल चौधरी हाजिर। प्रतिवादी संख्या 9 को सम्मन जरिये डाक भेजे। सम्मन अदम तामिल लोटकर प्राप्त हुए है। अतः तामिल सम्यक मानी जाती है। सम्यक तामील के उपरान्त भी प्रति. 9 हाजिर नही हुई, अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाब दावा बन्द कर प्राथमिक डिक्रि जारी करने हेतु निवेदन किया। उभय पक्षो के निवेदन पर दावा निम्नानुसार प्राथमिक डिक्रि किया जाता है। उपस्थित वादी अधिवक्ता नें प्राथमिक डिक्रि जारी करने हेतु निवेदन किया। वादीगण के निवेदन पर दावा निम्नानुसार प्राथमिक डिक्रि किया जाता है। तहसीलदार तहसील चाकसू जयपुर ग्रामीण विवादित आराजीयात खसरा नंबर 1562, 1564, 363/1, 371/1, 832/2, 838/2 कुल किता 6 कुल रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम कौथून पटवार हल्का कौथून तहसील चाकसू पर तहसीलदार चाकसू को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वादी के डाक खर्चे पर प्रतिवादीगणों को लिखित सूचना देते हुय उपर्युक्त विवादित आराजीयात का मौका निरीक्षण करें, एवं विभाजन प्रस्ताव मुताबिक नियम 18 से 21, राज. काश्त. नियम 1956 के अनुसार तैयार करें। विभाजन प्रस्ताव उपर्युक्त अनुसार तीन प्रतियों में न्यायालय में आगामी तारीख पेशी तक चाकसू को जारी हो डिक्री पर्चा जारी हो, तहरीर के साथ भेजा जावें। पत्रावली वास्ते इन्तजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	